अनुसूचित जाति आयोग
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 96

क्रमांक एफ-23-25/95/3/25 :- म.प्र. राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 की धारा (1) उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन दिनांक 8 फरवरी, 1996 को उस तारीख के रूप में नियत करता है, जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
सही/-
(अजय सिंह यादव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण
विभाग

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290 भोपाल, गुरूवार, दिनांक 29 जून 1995-आषाढ़ 8, शके 1917

विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 29 जून 1995

क्र. 7146-इक्कीस-अ- (प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम , जिस पर दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.पी.एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 25 सन् 1995

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995

विषय-सूची

धाराएँ-

अध्याय-1- प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. परिभाषाएँ

अध्याय-2 - राज्य अनुसूचित जाति आयोग

3. राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन।
4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें।
5. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।
6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा।
7. रिक्तियों, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी।
8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना।

अध्याय-3- आयोग के कृत्य तथा शक्तियां

9. आयोग के कृत्य।
10. आयोग की शक्तियां।

अध्याय-4- वित्त, लेखा और संपरीक्षा

11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान।
12. लेखे तथा संपरीक्षा।
13. वार्षिक रिपोर्ट।
14. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना।

अध्याय 5- प्रकीर्ण

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
16. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
17. नियम बनाने की शक्ति।
18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
19. निरसन तथा व्यावृत्ति।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 25 सन् 1995

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995

दिनांक 24 मई , 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 29 जून, 1995 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1-प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 है।"

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ-

(2) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "आयोग" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग,

(ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है,

(ग) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत है ऐसी जातियां , मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों , मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय 2- राज्य अनुसूचित जाति आयोग

3. राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन

(1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) तीन अशासकीय सदस्य जो अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जातियों में से होंगे।

(ख) संचालक, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश।

4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें-

(1) आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य , उस तारीख से , जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है , तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा यथास्थिति , अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) राज्य सरकार सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति -

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये , जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है;

(ग) विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अनुसूचित जातियों के हितों या लोकहित के लिये अपायकर हो गया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति को नया नामनिर्देशन करके भरा जाएगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की शेष अवधि तक पद धारण करेगा।

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।

5. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

(1) राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये आवश्यक है।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।

6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा

अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्यय , जिसके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन है, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जाएगा।

7. रिक्तियों, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी

आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही , केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है।

8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

(1) आयोग जब जितनी बार भी आवश्यक हो अपना सम्मिलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

अध्यक्ष 3 - आयोग के कृत्य तथा शक्तियां

9. आयोग के कृत्य

(1) आयोग का यह कृत्य होगा कि वह-

(क) अनुसूचित जातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करे।

(ख) किन्हीं विशिष्ट जातियों , मूलवंशों या जनजातियों या ऐसी जातियों , मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश , 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ग) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार तथा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दे।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दे।

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करे जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(2) आयोग की सलाह साधारणत: राज्य सरकार पर आबाध्यपकर होगी तथापि जहां सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहाँ वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

10. आयोग की शक्तियाँ

आयोग की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए,

अध्याय-4 वित्त, लेखा और संपरीक्षा

11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान

(1) राज्य सरकार, विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जैसा कि राज्य सरकार तथा अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाने के लिये उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये जितनी राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में माना जाएगा।

12. लेखे तथा संपरीक्षा

(1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाए।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा , महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।

13. वार्षिक रिपोर्ट

आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर , जो कि विहित किया जाए , अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का संपूर्ण विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

14. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना

राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट को और उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि ऐसी किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का, यदि कोई हो, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5 - प्रकीर्ण

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

16. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

17. नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना, द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें :-

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा :

(ग) धारा 13 के अधीन वह प्ररूप जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी,

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश , उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

19. निरसन तथा व्यावृत्ति

(1) मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1983 (क्रमांक 31 सन् 1983), एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी , अनुसूचित जातियों के संबंध में निरस्त अधिनियम के अधीन गठित आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्रवाई या उसकी सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

क्र. 7147-इक्कीस-अ- (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम , 1995 (क्रमांक 25 , सन् 1995) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.पी.एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव